



मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

क्रमांक 607/48/2010/चयन

इन्दौर, दिनांक 21/07/2011

चयन परिणाम

आयोग के विज्ञापन क्रमांक 05/चयन/2010 दिनांक 17.05.2010, शुद्धिपत्र क्रमांक- 01/05/चयन/2010 दिनांक 26.07.2010 एवं शुद्धि पत्र क्रमांक- 02/05/चयन/2010 दिनांक 30.08.2010 के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत चिकित्सा अधिकारी के विज्ञापित पदों हेतु साक्षात्कार दिनांक 19.10.2010 से 25.11.2010 तक आयोजित किये जाकर अंतिम चयन परिणाम दिनांक 26.11.2010 को घोषित किया गया है। आयोग द्वारा न्यायालयीन प्रकरण वाले आवेदकों के चयन परिणाम न्यायालयीन निर्णय के अध्यक्षीन रखे जाकर रोके गये हैं।

माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इन्दौर में दायर याचिका डब्ल्यू.पी. क्रमांक 13342/2010(S), 13132/2010(S) एवं 13410/2010(S) में पारित निर्णय दिनांक 11.03.2011 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा RCH/NRHM स्कीम के अंतर्गत नियुक्त अभ्यर्थियों के रोके गये चयन परिणाम घोषित करने का निर्णय पारित किया गया है ऐसे अभ्यर्थियों के रोके गये चयन परिणाम माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में निम्नानुसार घोषित किये जाते हैं :-

मुख्य सूची

स.क्र.	अनुक्रमांक	नाम	लिंग	
1.	133	प्रमोद मिश्रा	M	प्रावधिक
2.	1760	पंकज कुमार ग्रीवर	M	प्रावधिक
3.	214	श्याम अग्रवाल	M	प्रावधिक
4.	575	दीपक कुमार गुप्ता	M	प्रावधिक
5.	550	मनोज कुमार गुप्ता	M	प्रावधिक
6.	1669	पंकज गुप्ता	M	प्रावधिक
7.	1084	स्नेहिल जैन	M	प्रावधिक
8.	1116	बृजेश कुमार रघुवंशी	M	प्रावधिक
9.	431	शैलेन्द्र सिंह परिहार	M	प्रावधिक
10.	520	सपन गोयल	M	प्रावधिक
11.	1181	भूपेन्द्र कुमार जैन	M	प्रावधिक
12.	1061	संदीप पलंदी	M	प्रावधिक
13.	1342	आदर्श नानेरिया	M	प्रावधिक

स.क्र.	अनुक्रमांक	नाम	लिंग
--------	------------	-----	------

अनुपूरक सूची (श्रेणी – अनारक्षित)

1.	1171	धीरज गुप्ता	M	प्रावधिक
2.	1505	नरेन्द्र शर्मा	M	प्रावधिक
3.	1019	अमित नीमा	M	प्रावधिक
4.	965	अमित आनंद असाटी	M	प्रावधिक

अनुपूरक सूची (श्रेणी – अनुसूचित जाति)

1.	1284	देवेन्द्र सिंह	M	प्रावधिक
----	------	----------------	---	----------

टीप :-

चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद यदि कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि आयोग के ध्यान में आती है, तो आयोग के पास चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।”


 (सुधीर डामोर)
 सचिव

